


- 11- प्रस्ताव एव प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
- 12- राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-07/बजट-46-50/2025 के पृष्ठ- 47/टि0 में प्राप्त है।
- 13- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।
Meetal

ज्ञापक:- 07/बजट-46-50/2025-95 (7A)/रवा0, पटना, दिनांक - 25/02/2026

प्रतिलिपि—योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष रामिति, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण प्रमंडल, गोपालगंज/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/सिविल सर्जन, गोपालगंज/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/महानिदेशक (आयुष), आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक (आयुर्वेद)/अवर सचिव--सह-निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा -7ए / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
Meetal